

परिपत्र

केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वरिष्ठ पीपीएस)/प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)/निजी सचिव (पीएस) को एनएफआरए में सलाहकार के रूप में नियुक्त करने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की सूचना

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। एनएफआरए की स्थापना सार्वजनिक हित और कंपनियों या निगमित निकायों से जुड़े निवेशकों, लेनदारों और अन्य लोगों के हितों की रक्षा के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके और कंपनियों और निगमित निकायों द्वारा निष्पादित लेखांकन कार्य और लेखा परीक्षाओं द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करके की गई है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट nfra.gov.in देखें।

2. एनएफआरए, केंद्र सरकार के इच्छुक एवं योग्य सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वरिष्ठ पीपीएस-स्तर 12)/प्रधान निजी सचिव (पीपीएस-स्तर 11)/निजी सचिव (पीएस स्तर 8) से नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन- पत्र आमंत्रित करता है। यह नियुक्ति व्यय विभाग के दिनांक 9.12.2020 के कार्यालय जापन संख्या 3-25/2020-ई. IIIA (प्रति संलग्न अनुबंध- III) में उल्लिखित नियमों व शर्तों पर की जाएगी। एमएसीपी/एनएफएसजी के कारण उच्च वेतन स्तर वाले इन ग्रेडों से सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता, पदों की संख्या आदि का विवरण अनुबंध- I में संलग्न है। आवेदन का प्रारूप अनुबंध- II में संलग्न है।

3. इच्छुक एवं पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी अपने भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन की हुई प्रति, सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ, इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर ईमेल आईडी manager-admn@nfra.gov.in पर ईमेल द्वारा जमा कर सकते हैं। आवेदन- पत्र की हार्ड कॉपी एक लिफाफे में, जिस पर 'सेवानिवृत्त वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस/पीएस को सलाहकार के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र' लिखा हो, सचिव एनएफआरए, सातवीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजी जा सकती है। इस सूचना में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, इसे एनएफआरए की वेबसाइट nfra.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्तियों को नियमित रूप से एनएफआरए की वेबसाइट देखते रहना आवश्यक है।



(मृत्युंजय सिंह)

उप महाप्रबंधक

संलग्न: यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस परिपत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट के संबंधित अधिसूचना अनुभाग पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
2. सहायक प्रबंधक (आईटी), एनएफआरए को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस परिपत्र को एनएफआरए की वेबसाइट और एनएफआरए के सोशल मीडिया अकाउंट/हैंडल पर अपलोड करें।

आवश्यकताओं का विवरण

1. पात्रता-

- (i) आवेदक केंद्र सरकार से नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वरिष्ठ पीपीएस)/प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)/निजी सचिव (पीएस) के पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए।
- (ii) आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि से 2 वर्ष से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए।
- (iv) वह भारतीय नागरिक होना चाहिए।

2. पदों की संख्या - वर्तमान में पदों की संख्या ग्यारह (11) है। हालाँकि, एनएफआरए चयनित आवेदकों का एक समूह (पूल) बनाए रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नियुक्त कर सकता है।

3. अनुभव आवश्यकताएँ-

आवेदक को केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों की कार्यप्रणाली से भली-भाँति परिचित होना चाहिए और केंद्र सरकार के विभिन्न नियमों/विनियमों की जानकारी होनी चाहिए।

(ii) उसे शॉर्टहैंड में डिक्टेशन लेने और उसका लिप्यंतरण करने, सरकारी कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करने में सक्षम होना चाहिए।

(iii) उसे कार्यालय के दैनिक कार्यों में आवश्यक कंप्यूटर अनुप्रयोगों और ई-ऑफिस का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता होनी चाहिए।

4. कार्यक्षेत्र -

(i) निर्देशानुसार सभी पत्राचारों का मसौदा तैयार करने और जारी करने में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना।

(ii) वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों/कार्यों का प्रबंधन करना।

(iii) टेलीफोन कॉलों का उत्तर देना और आगंतुकों का स्वागत करना।

(iv) अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले आवश्यक कागजातों का रखरखाव करना, गोपनीय और गुप्त पत्रों के आशुलिपिक अभिलेखों को नष्ट करना/कबाड़ कर नष्ट करना।

(v) वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

5. नियम एवं शर्तें

(i) अनुलग्नक III में उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(ii) परामर्शदाता को निर्धारित सामान्य कार्य समय (अर्थात् प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक) का पालन करना होगा। हालाँकि, कार्य की अनिवार्यता के कारण उन्हें शनिवार/रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाशों पर देर तक बैठना पड़ सकता है और/या बुलाया जा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(iii) परामर्शदाता को किसी भी स्तर के अधिकारी के साथ संबद्ध किया जा सकता है और उसे बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा।

(iv) परामर्शदाता की सेवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। हालाँकि, यदि परामर्शदाता किसी भी कारण से कार्य करने को तैयार नहीं है, तो उसे कार्यालय को कम से कम एक महीने का नोटिस देना होगा। सभी मामलों में एनएफआरए का निर्णय अंतिम होगा।

(v) समय-समय पर लागू होने वाले पारिश्रमिक/भुगतान से करों की कटौती की जाएगी।

6. नियुक्ति की सामान्य शर्तें:

(i) चयनित परामर्शदाता, समय-समय पर संशोधित शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होगा और इस कार्यालय में "परामर्शदाता" के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान उसके संज्ञान में आने वाली किसी भी जानकारी/डेटा को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रकट नहीं करेगा। ऐसे सभी दस्तावेज़ प्राधिकरण की संपत्ति होंगे।

(ii) वह सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना, अपने कार्यभार के लिए या इस कार्यालय में कार्यभार के दौरान एकत्रित किए गए डेटा, सांख्यिकी, कार्यवाही या सूचना के किसी भी भाग का उपयोग, प्रकाशन या किसी तीसरे पक्ष को विक्रय नहीं करेगा/करेगी। एनएफआरए का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा।

(iii) उसे हर समय एनएफआरए के हित में कार्य करना होगा और पेशेवर निष्ठा के साथ कोई भी सेवा प्रदान करनी होगी।

(w) वह इस कार्यालय में परामर्शदाता के रूप में कार्य करते समय निष्ठा, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, मितव्ययिता और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा/रखेगी।

(v) इस प्रकार नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में इस कार्यालय के हित के प्रतिकूल किसी भी मामले में दूसरों का प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं देगा/देगी और न ही वह संविदात्मक कार्य की शर्तों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होगा/होगी।

(vi) उम्मीदवार को एक गोपनीयता वचनपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और प्राधिकरण के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

एनएफआरए में सलाहकार के लिए आवेदन-पत्र

सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव / प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव से
सलाहकार के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र (कृपया टिक करें)

आवेदक का हाल ही
में खिचा हुआ रंगीन
फोटोग्राफ

क्रम संख्या	विवरण	अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने वाला विवरण
1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता /पति का नाम	
3.	राष्ट्रीयता	
4.	लिंग (पुरुष /स्त्री)	
5.	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
6.	आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आयु (अर्थात् -----2025)	वर्ष -----माह -----दिन
7.	संपर्क विवरण : वर्तमान पता : ईमेल : मोबाइल नंबर दूरभाष नंबर	
8.	स्थायी पता :	
9.	सेवानिवृत्ति की तारीख : कृपया पेंशन आदेश की प्रति संलग्न करें ।	
10.	धारित पद तथा वेतन लेवल	पद : वेतन लेवल -----से -----तक
11.	अंतिम आहरित वेतन तथा मूल पेंशन (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) (अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र & पी पी ओ की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए) ।	
12.	शैक्षिक योग्यता : सपोर्टिंग दस्तावेज संलग्न करें ।	
13.	टंकण की भाषा ,कृपया स्पष्ट करें अंग्रेजी /हिन्दी /दोनों भाषाएं	

14. सेवानिवृत्त होने से पहले पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार में की गई सेवा का क्रमवार विवरण

क्रम संख्या	अवधि	पदनाम ,तैनाती का स्थान ,अधिकारी का नाम जिसके साथ कार्य किया	किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण

नोट :कृपया आवेदन पत्र के पूरे सेट की पृष्ठ संख्या लिखें और संलग्न किए गए दस्तावेजों का सूचकांक लिखें ।

15. कृपया कृपया दो वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ दें जिनके अधीन अभ्यर्थी ने अलग अलग असाइनमेंट में कार्य किया ।

प्रस्तुत किए जाने वाले संदर्भों में सम्मिलित किए जाने वाले विवरण : नाम ,पदनाम ,मंत्रालय /विभाग की ईमेल आई डी ,उस अधिकारी का संपर्क नंबर जिनके साथ आवेदक ने कार्य किया है ।

16. क्या सरकारी सेवा के दौरान पिछले 10 वर्षों में कोई माइनर पैनल्टी /मेजर पैनल्टी लगाई गई थी और यदि हाँ तो उसका विवरण :

17. सेवा निवृत्ति से पूर्व पिछले पाँच वर्षों की वर्ष वार ए सी आर ग्रेडिंग

वर्ष	ए सी आर ग्रेडिंग

18. मैं एतद्वारा निम्नलिखित प्रमाणित/वचनबद्ध करता/करती हूँ:-

(i) मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उन पर खरा उतरता/उतरती हूँ।

(ii) ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है।

(iii) मैं समझता/समझती हूँ और सहमत हूँ कि चयन/साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय कोई भी जानकारी झूठी या गलत/अपूर्ण पाई जाने या अयोग्यता पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है, और मैं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/एनएफआरए के निर्णय से बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

(iv) मैंने एनएफआरए में सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों को समझ लिया है और मैं इन सभी नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से और बिना शर्त स्वीकार करता/करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

स्थान :

तारीख :

एफ. संख्या 3-25/2020-स्था III.ए.

भारत सरकार/Govt of India

वित्त मंत्रालय/Ministry of Finance

व्यय विभाग/Department of Expenditure

दिनांक 09 दिसंबर, 2020

कार्यालय जापन

विषय: सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के मामले में पारिश्रमिक का विनियमन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय/विभाग सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करते हैं, जिनमें अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति भी शामिल है। हालाँकि, वर्तमान में ऐसे मामलों में पारिश्रमिक के नियमन हेतु कोई समान दिशानिर्देश नहीं हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा अनुदेश, जैसा कि उनके केंद्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के वेतन का निर्धारण) आदेश, 1986 में निहित है, समय-समय पर संशोधित, पुनर्नियोजन के मामले में वेतन के विनियमन का प्रावधान करते हैं। हालाँकि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देश, जैसा कि उनके दिनांक 9.12.2002 के कार्यालय जापन संख्या 26012/6/2002- स्था. (ए) में निहित है, यह प्रावधान करता है कि 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद पुनर्नियोजन स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही, उनके दिनांक 1.5.2017 के कार्यालय जापन संख्या 3(3)/2016- स्था. (वेतन II) के अनुसार, पुनर्नियोजन पर वेतन + सकल पेंशन 2,25,000/- रुपये अर्थात् वेतन स्तर 17 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के लिए लागू है।

3. पुनर्नियोजन के मामले में वेतन निर्धारण पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त निर्देश केवल पुनर्नियोजन पर नियुक्त व्यक्तियों पर ही लागू होंगे। ये निर्देश अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, सिवाय इसके कि अनुबंध में अन्यथा प्रावधान हो। तदनुसार, 60 वर्ष की आयु के बाद, सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के मामलों में, पुनर्नियोजन पर वेतन निर्धारण संबंधी निर्देश सीधे लागू नहीं होंगे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह भी सूचित किया है कि वे सरकारी मंत्रालयों और विभागों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के दिशानिर्देशों के संबंध में सचिवों की समिति (सीओएस) के लिए एक नोट का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इसे देखते हुए, जब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दे देता, तब तक सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के ऐसे मामलों में पारिश्रमिक को एक समान आधार पर विनियमित करने की आवश्यकता है। इसलिए, इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संविदा आधार पर नियुक्ति, जिसमें सलाहकार के रूप में नियुक्ति भी शामिल है, के मामले में पारिश्रमिक का विनियमन आगे दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

5. प्रारंभ में, ऐसी नियुक्तियाँ व्यवहारिक रूप से नहीं की जाएँगी और इन्हें न्यूनतम ही रखा जाना चाहिए। ऐसी नियुक्तियाँ केवल सरकारी कार्य की उचित आवश्यकताओं के आधार पर ही की जा सकती हैं, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति से जनहित की पूर्ति होती हो। ऐसी नियुक्तियाँ करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष स्पष्ट आधारों के साथ पर्याप्त कार्यात्मक आवश्यकताएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6. पारिश्रमिक

6.1 सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से मूल पेंशन घटाकर एक निश्चित मासिक राशि देय होगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी। अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।

उदाहरण

एक कर्मचारी वेतन स्तर 13 में सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्ति के समय उसका वेतन 1,55,900 रुपये था। इस प्रकार, मूल पेंशन 77,950 रुपये होगी। यदि कर्मचारी को परामर्शदाता सहित अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो पारिश्रमिक 77,950 रुपये (1,55,900-77,950) निर्धारित किया जाएगा।

6.2 अंतिम आहरित वेतन से काटी जाने वाली मूल पेंशन, सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित पेंशन होगी और इस प्रकार, यदि कर्मचारी ने पेंशन के संराशीकृत मूल्य का लाभ उठाया है, तो पेंशन का संराशीकृत भाग भी काटे जाने वाले पेंशन भाग में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार, उपरोक्त उदाहरण में, यदि पेंशन का 40% संराशीकृत किया गया था, तो संराशीकृत भाग 31,180 रुपये (77,950 का 40%) होगा और वास्तव में प्राप्त पेंशन 46,770 रुपये होगी। हालाँकि, अंतिम वेतन से काटी जाने वाली पेंशन राशि 77,950 रुपये होगी।

6.3 अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

7. भत्ते

7.1 मकान किराया भत्ता

कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

7.2 परिवहन भत्ता

निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालाँकि, परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार, यदि कोई हो, आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

7.3 अनुपस्थिति अवकाश

सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अनुपस्थिति अवकाश दिया जा सकता है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती।

8. नियुक्ति की अवधि

8.1 नियुक्ति की अवधि सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति की आयु के बाद दो वर्ष के बाद, जहाँ पर्याप्त औचित्य हो, अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति के कार्य और प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति के बाद इसे 5 वर्ष से अधिक न बढ़ाया जाए।

8.2 परामर्शदाता भारत सरकार के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर एक खंड शामिल होगा।

9. छूटें

इन आदेशों में निर्धारित नियुक्ति की शर्तें उन मामलों पर और उस सीमा तक लागू नहीं होंगी जहाँ कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विशेष शर्तों की अनुमति दी है या जहाँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग या व्यय विभाग के अनुमोदन से विशेष प्रावधानों की अनुमति दी गई है।

10. ये आदेश केंद्र सरकार में की गई नियुक्तियों पर लागू होंगे और आदेश जारी होने की तिथि से, अगले आदेश आने तक या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक को विनियमित करने वाले निर्देश जारी होने तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों के आलोक में पूर्व मामलों को उन पूर्व मामलों की सामान्य अवधि समाप्त होने तक पुनः नहीं खोला जाएगा। उपरोक्त में किसी भी छूट के लिए व्यय विभाग को संदर्भित करना आवश्यक होगा।

(बी.के.मंथन)

उप सचिव

प्रति:

मानक सूची के अनुसार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग।

1. **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य स्वेच्छिक योगदान के जरिए एक स्वयं पोषित कोर (समूह) की स्थापना करना है जिसके जरिए एनएफआरए "ट्रस्ट" में जरूरतमंद कर्मचारियों को चिकित्सा और अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए तत्काल वित्तीय सहायता मुहैया कराया जाना ही संजीवनी का आधार है।

2. **कोर(समूह) का दायरा और प्रबंधन**

(क) एनएफआरए का कोई भी कर्मचारी (स्थाई अथवा संविदा पर) इस स्वेच्छिक योगदान के लिए पात्र है।

(ख) मासिक / द्विमासिक / तिमाही योगदान स्वेच्छिक है जिसकी अधिकतम या न्यूनतम जैसी कोई सीमा नहीं है ।

(ग) लेखा की जांच आवधिक रूप से की जाएगी और निधियों की स्थिति को योगदान देने वाले सदस्यों के साथ नियमित रूप से शेयर किया जाएगा (अर्थात तिमाही /अर्द्धवार्षिक /वार्षिक) ।

(घ) निधियों का उपयोग चिकित्सा आपात और अन्य तत्काल आपात स्थितियों के लिए किया जाएगा

3. **आवेदन और संवितरण प्रक्रिया**

(क) एक आवेदन- पत्र चिकित्सा रिपोर्टों ,बिलों ,या डॉक्टर की सिफारिश के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) आपातकालीन स्थिति में, इस आशय का तत्काल अनुरोध किया जा सकता है और संबंधित दस्तावेज बाद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(ग) सहायता राशि चिकित्सा स्थिति की गंभीरता ,या आपात स्थिति और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

(घ) निधियाँ सीधे स्वास्थ्य देख- रेख संस्थानों को मुहैया कराई जाएंगी या खर्चा होने के बाद, कर्मचारी को उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी या आपात कालीन स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारी को मुहैया कराई जाएंगी ।

4. **संजीवनी प्रबंधन के सदस्य**

(क) श्री सुरेंद्र सिंह , सदस्य एनएफआरए के निजी सचिव

(ख) श्री सुकान्ता पाल, कार्यकारी अधिकारी (एस वी टी) के निजी सचिव

5. **संजीवनी का प्रबंधन करने वाले अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे :-**

(क) निधि प्रबंधन पर निगरानी रखना ।

(ख) चिकित्सा दावों / आपात स्थिति /और संवितरण निधियों का सत्यापन करना । कोर(समूह) की पारदर्शिता और जबावदेही सुनिश्चित करना ।योगदान और संवितरण की अद्यतन स्थिति से योगदानकर्ताओं को अवगत करना ।